सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 04 / 17 **निर्णय दिनांक–01.05.2018**

1. भीखसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी गोन्दुसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गोपसिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी गोन्दुसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 04–04–2014

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 04–04–2014 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही गोन्दुसर के खेत खसरा नम्बर 497 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 498 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 499 तादादी 6.38 हेक्टर कुल तादादी 6.42 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिस पर अपीलांट अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों सगे भाई है। अपीलांट के भाई के खेत खसरा नम्बर 500 जोकि अपीलांट के व कटाणी रास्ते के मध्य है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 500 उत्तर की सींव के साथ साथ दक्षिण की और घुमकर अपने खेत की ढाणी में इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। किन्तु कुछ समय पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि अपीलांट का सगा भाई है के मध्य मनमुटाव हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ता बन्द कर देने के कारण अपीलांट को अपने खेत में आवागमन हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा पंचायत के समक्ष रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया तो पंचायत ने सर्वसम्मति से उक्त रास्ते को शीध्र खोलने का निवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार नोखा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार करते हुए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर 150—200 फीट उचें रेतीलें टीले है। जिस पर आवागमन किया जाना संभव नहीं है। यह सभी तथ्य अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने खेत में आने—जाने के लिये वर्तमान में चालू रास्ता जो दोनों की सहमति से खसरा नम्बर 500 की उत्तरी सींव के साथ—साथ चलता हुआ दक्षिण की और घूमकर अपीलांट की खेत की ढाणी में आने—जाने के उपयोग में हो रहा है को राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु अदालत मातहत द्वारा जो रास्ता कायम किया गया है वह उचित और सुविधाजनक नहीं होकर परेशानी पैदा करने वाला रास्ता कायम किया है।

अदालत मातहत द्वारा जो रिपोर्ट पटवारी द्वारा मंगवाई गई थी उक्त रिपोर्ट में भी स्वीकृत रास्ते के बीच में टीलें अंकित किये है तथा अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते का भी अंकन किया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह गलत है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 05—09—2013 के प्रस्ताव संख्या 1 बन्द रास्ता खुलवाने हेतु गठित मौका कमेटी की रिपोर्ट में भी यह अभिलिखित किया गया है कि रास्ता वास्तव में बन्द है तथा यह रास्ता पूर्व में काफी लम्बे समय से यही पर था तथा गोपालसिंह ने रास्ता जानबूझकर बन्द किया है। बैठक में गोपालसिंह से रास्ता खुलवाने हेतु आग्रह किया गया फिर भी उन्होंने आग्रह नहीं माना तथा बैठक में उपस्थित तमाम सदस्यों द्वारा भी यह माना गया कि उपरान्त बन्द रास्ता खेत में आने—जाने हेतु उचित है तथा अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। इसप्रकार मौका कमेटी द्वारा यह पाया गया कि उपरोक्त बन्द रास्ता खुलवाया जावे। यह समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश रास्ता नियमों के विपरीत व मनमर्जी का आदेश है। ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से शून्य आदेश की परिभाषा का आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 502 से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 430 पर पहुॅच हेतु खसरा नम्बर 500 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गोपालसिंह पुत्र अर्जुन सिंह तैयार है। खसरा नम्बर 502 व 499 दोनों की खातेदारी एक ही व्यक्ति प्रार्थी की होने से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 430 तक पहुॅचस हेतु खसरा नम्बर 500 के दक्षिण पूर्वी कोने पर 24 X 50 फिट अर्थात 111.4836 वर्गमीटर

अर्थात 0.01115 हेक्टर भूमि प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में से कम करके वादी को रास्ते हेतु उपलब्ध करवाया जाना उचित है।

अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट को रास्ता उपलब्ध कराते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत रास्ते से किसी भी पक्षकार को परेशानी नहीं होनी है। क्योंकि उक्त रास्ता सभी के लिए सुविधाजनक रास्ता है तथा खेत खसरे की सींव पर से रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार व मौके की स्थिति के अनुसार ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट द्वारा अपनी सुविधा के लिए रास्ता चाहा जा रहा है। जबकि धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत कोई भी पक्षकार अपनी सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं कर सकता। केवल मात्र अत्यांतिक आवश्यक को ध्यान में रखते हुए रास्ता कायम किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट को रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जो विधिक रूप से सही व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार होने से आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 500 में उत्तर की सींव के साथ–साथ दक्षिण की और घुमकर रास्ते की मांग की गई। अदालत मातहत द्वारा इसके विपरीत खेत खसरा नम्बर 502 में से 24 X 50 फिट कटानी रास्ता स्वीकृत करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर व अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर अन्यत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) रास्ते के प्रकरणों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वादगत् भूमि के संबंध में तैयार की गई मौका रिपोर्ट होती है। प्रस्तुत प्रकरण में हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की मांग के अनुरूप रास्ता कायम न करते हुए अन्यत्र रास्त दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध मौका कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में मौका कमेटी जिसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है के द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर रास्ता बन्द किया गया है तथा यह रास्ता पूर्व में लम्बे समय से चला आ रहा होने के कारण कमेटी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बन्द रास्ता खुलवाने हेतु आग्रह भी किया है तथा कमेटी द्वारा यह माना गया है कि उक्त बंद रास्ता खुलवाया जावे।

(3) प्रकरण में दूसरी तरफ हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हमारा अभिमत है कि रास्ते के प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वमेव मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार किया जाना हितकर होता है तथा इस संबंध में उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि रास्ते जैसे महत्वपूर्ण मामलों में पटवारी अथवा गिरदावार से रिपोर्ट तैयार करवाये जाने के स्थान पर संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका निरिक्षण करते हुए रिपोर्ट तैयार कर मय नजरी नक्श अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत प्रकरण में जो रिपोर्ट तैयार की गई वह संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है व उक्त मौका रिपोर्ट में संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई राय अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत न करते हुए मात्र नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व सरसरी तौर पर तैयार किया जाना परिलक्षित होता है।

(4) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर

उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र संबंधित पटवारी द्वारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति के तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

(5) प्रकरण में संबंधित पटवारी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति व अपीलांट द्वारा की जा रही रास्ते की मांग के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। केवल मात्र नजरी नक्शा प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इसके विपरीत दिनांक 26—07—2013 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी भीखसिंह के खेत का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्त नहीं है। प्रार्थी के खेत में केवल खेतों का रास्ता लगता है जिसे गोपसिंह ने बन्द कर दिया है। उक्त रास्त काफी समय से चल रहा है परन्तु अप्रार्थी ने खेत जोतकर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामलें में दो अलग—अलग रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो अपने आप में विरोधाभासी रिपोर्ट है।

(6) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। इस क्रम में राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—3(2)रेवें—6/03 पार्ट 07 दिनांक 02—03—2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) से नियम 68—70 को जोड़ा गया है। पीड़ित पक्षकार (खातेदार) ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा। उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह

देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं?

(7) चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट के आवागमन हेतु पूर्व में जारी रास्ते के स्थान पर अन्यत्र रास्ता कायम करने के आदेश अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत के समक्ष मौका रिपोर्ट के माध्यम से यह तथ्य उपलब्ध थे कि मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अन्यत्र खेत खसरा नम्बर 502 में से 24 X 50 फिट रास्ता रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 04—04—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारों की व संबंधित तहसीलदार की मौजूदगी में मौका की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार करवाते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज 01.05.2018 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर